भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1309
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

एएचडीआई का विकास
1309. डॉ. लता वानखेड़ेः
क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा देश में पशुपालन और डेयरी उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के लिए कोई विशेष पहल की गई है;
(ग) पशुपालकों और डेयरी किसानों की आय पर उक्त योजनाओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इस संबंध में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित पहलें, योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को क्रियान्वित कर रहा है। देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और और बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। आज तक, 8.32 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, जिसमें 12.20 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 5.19 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है। जिसमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्राह, मेहसाणा नस्ल के भैंसों के लिए संतति परीक्षण कार्यान्वित किया गया है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कंकरेज नस्ल की गायें तथा जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसे शामिल हैं। अब तक 3,988 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन किया गया है तथा उन्हें सीमन उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।

(iii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के प्रजनन के लिए, विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। यह तकनीक एक ही पीढ़ी में बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने देशी रूप से विकसित आईवीएफ मीडिया आरंभ किया है।

(iv) सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन: पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी सीमन केंद्रों पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन

सुविधाएं की स्थापित की हैं। 3 निजी सीमन केंद्र भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराकों का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों से 1.15 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन किया गया है और कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(v) जीनोमिक चयन: गोपशु और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप – जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

(vi) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित और आवश्यक उपकरण से युक्त किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और उपकरण से युक्त किया गया है।

(vii) सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत के 50% तक सुनिश्चित गर्भाधान के लिए सहायता मिलती है। अब तक, इस कार्यक्रम से 341,998 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने किसानों को उचित दरों पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराने के लिए देश में विकसित सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक प्रारंभ की है।

(viii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस तकनीक का उपयोग बोवाइन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रूचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भाधान पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): : पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से एनएलएम योजना को कार्यान्वित कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए एनएलएम योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन शामिल हैं (i) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन; (ii) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन और (iii) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन। इन उप-मिशनों के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन: इस उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप हैं

कार्यकलाप I: (i) ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना: पैरेंट फार्म (1000 पक्षी) की स्थापना के लिए व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 2500 लाख रुपये तक की 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है; और (ii) जुगाली करने वाले छोटे पशु क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना: भेड और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियां (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को न्यूनतम 100 मादा और 10 नर तथा अधिकतम 500 मादा और 25 नर रखने पर 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप II : भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित उप-कार्यकलाप हैं: (i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमन बैंक की

स्थापना: भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमन केन्द्र की स्थापना के लिए पात्र संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 400.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है; (ii) राज्य सीमन बैंक की स्थापना: बकरे के हिमित सीमन को संग्रहीत करने और वितरित करने हेतु मौजूदा गोपशु और भैंस सीमन बैंक को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है; (iii) मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार: बकरे के हिमित वीर्य को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा गोपशु एआई केंद्रों को बकरे एआई केंद्र बनाने संबंधी सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्र को एक मुश्त 7000/- रुपये तक की सहायता और (iv) विदेशी भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म का आयात: नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात हेतु राज्य पशुपालन विभाग को सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप III : सूअर पालन उद्यमी को बढ़ावा: व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 30.00 लाख रु. तक की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप IV : सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं: (i) सुअर सीमन संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना: कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तरल सूअर सीमन का उत्पादन करने हेतु सरकारी सुअर फार्म में सीमन प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पशुपालन विभाग को 150 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीमन के पहली बार प्रसंस्करण के लिए उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकमुश्त आवर्ती व्यय के रूप में 30 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं और (ii) विदेशी सुअर जर्मप्लाज्म का आयात: केंद्र सरकार नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और प्रति पशु मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए सुअर जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात हेतु राज्यों की सहायता कर रही है।

कार्यकलाप V: घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के लिए उद्यमियों की स्थापना: व्यक्ति, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/ संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप VI: घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट का आनुवंशिक सुधार: (i) घोड़े, गधे और ऊंट के लिए क्षेत्रीय सीमन स्टेशन: देशी घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के लिए सीमन स्टेशन की स्थापना हेतु राज्य सरकार को 10 करोड़ रु. तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है; (ii) घोड़े/गधे/ऊंट जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए न्यूक्लियस ब्रीड फार्म: पशुओं के इन- सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण के लिए उत्कृष्ट पशुओं के साथ घोड़े, ऊंट, गधे के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को 10 करोड़ रु. तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है और (iii) नस्ल पंजीकरण सोसायटी: घोड़े, ऊंट और गधे के लिए नस्ल पंजीकरण सोसायटी की स्थापना हेतु 100% सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) आहार और चारा विकास हेतु उप-मिशन: आहार और चारा संबंधी उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

कार्यकलाप I: गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता: केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन;

कार्यकलाप II: आहार और चारे में उद्यमशीलता संबंधी कार्यकलाप: व्यक्ति, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समिति, धारा 8 कंपनियों को घास/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक जैसे मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्यकलाप III: चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए उद्यमियों की स्थापना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/ चारा बीज भंडारण गोदाम): कंपनियों, स्टार्ट-अप/ एसएचजी/ एफपीओ/ एफसीओ/ जेएलजी/ सहकारी समितियों, धारा 8 कंपनियों और अन्य विश्वसनीय संगठनों को चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

कार्यकलाप IV: गैर-वन बंजर भूमि/ रेंजलैंड/ गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन: लवणीय, अम्लीय और भारी मिट्टी जैसी समस्याग्रस्त मिट्टी के वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए अवक्रमित गैर-वन बंजर भूमि/ रेंजलैंड/ चरागाह/ गैर-कृषि योग्य भूमि और वन भूमि में विभिन्न चारे के उत्पादन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) नवाचार और विस्तार संबंधी उप मिशन: इस उप-मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप हैं:

कार्यकलाप I: अनुसंधान और विकास तथा नवाचार: भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर तथा चारा और आहार क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी संगठनों सहित विश्वसनीय संस्थाओं को 100% सहायता प्रदान की जाती है ।

कार्यकलाप II: विस्तार कार्यकलाप: संगोष्ठी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पशुपालक समूह, प्रजनक संघ और पशुधन मेलों जैसे आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से योजना और पशुपालन संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

कार्यकलाप III पशुधन बीमा कार्यक्रम: पशुओं के बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम के हिस्से के लिए राज्य सरकार को 60:40 या 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी प्रीमियम का 15% हिस्सा साझा करता है।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: यह योजना सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, पशु-आहार और खनिज मिश्रण जैसी इनपुट सेवाएं और दूध तथा दूध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सहायता शामिल है, जिससे सहकारी समितियों में नामांकित डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी): यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है। किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इस योजना के अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत : (i) एफएमडी के लिए 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किया गया 35 करोड़ टीकाकरण शामिल है; और (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगभग 4.3 करोड़ बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीका लगाया गया है। जिसके अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 1.3 करोड़ बछड़ों को लगाया गया टीका शामिल है। जिसमें पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत मोबाइल वेटेनरी इकाईयों (एमवीयू) की खरीद और कस्टमाइजेशन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टोल फ्री नंबर (1962) द्वारा मोबाइल वेटेनरी इकाईयों (एमवीयू) के माध्यम से किसानों के द्वार पर पशुचिकित्सा स्वास्थ देखभाल सेवाएं देने के लिए उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% आवर्ती प्रचालन व्यय प्रदान किया जाता है, एमवीयू से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में रोग निदान उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य हस्तक्षेत्र, श्रव्य- दृश्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाएं शामिल हैं। अब तक 28 राज्यों में 4016 एमवीयू चालू हैं और 65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

5. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) इस योजना का उद्देश्य (i) डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना और (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीका और औषधि उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। एएचआईडीएफ की सफलता को ध्यान में रखते हुए, पूर्ववर्ती डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को दिनांक 01.02.2024 से एएचआईडीएफ में शामिल कर लिया गया है। अब निधि का कुल आकार 29110 करोड़ रुपये है।

6. भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई): भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के माध्यम से भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है: (i) संकटग्रस्त पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह का प्रावधान और (ii) संकटग्रस्त आवारा पशुओं के रख-रखाव और उनके उपचार के लिए भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड योजना, पशुओं के कल्याण के लिए मानव शिक्षा कार्यक्रम आदि।

(ग) और (घ) ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालकों और डेयरी किसानों की आय में सुधार के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तथा अन्य उपायों का प्रभाव इस प्रकार है:

देश में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले 10 वर्षों के दौरान 63.55% की वृद्धि है। देश में बोवाइन पशुओं की कुल उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1640 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रतिवर्ष 2072 किलोग्राम हो गई है, जो 26.34% की वृद्धि है। यह विश्व में किसी भी देश द्वारा की गई सबसे अधिक उत्पादकता वृद्धि है। देशी और नॉन-डिस्क्रिप्ट गोपशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रतिवर्ष 927 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1292 किलोग्राम हो गई है, जो 39.37% की वृद्धि है। भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1880 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में प्रति पशु प्रति वर्ष 2161 किलोग्राम हो गई है, जो 14.94% की वृद्धि है।

पशुधन क्षेत्र वर्ष 2014-15 और वर्ष 2022-23 (स्थिर मूल्यों पर) के बीच 9.82% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है और यह देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रवार जीवीए के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2024 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए (स्थिर मूल्यों पर) में पशुधन का योगदान 24.32 प्रतिशत (वर्ष 2014-15) से बढ़कर 30.22 प्रतिशत (वर्ष 2022-23) हो गया है। पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में कुल जीवीए में 5.5 प्रतिशत का योगदान दिया। पशुधन क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान मूल्य पर 17.25 लाख करोड़ रुपये (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के अनुसार) है। दूध के उत्पादन का मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो कृषि उपज में सबसे अधिक है और धान और गेहूं के संयुक्त मूल्य से भी अधिक है।

ऊपर उल्लिखित योजनाएं दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और दूध उत्पादन तथा बोवाईनों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बना रही हैं। इन योजनाओं का लाभ दूध उत्पादन और बोवाइन पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के रूप में डेयरी से जुड़े सभी किसानों को मिल रहा है।

****